अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/291/2012 दायर दिनांकः— 13/12/2012

जीसीएमएस नं0ः— 2012/00117 निर्णय दिनांकः— 30/10/2025

वउनवान

1. भवानी सिह माता रामस्नेही पुत्र श्री मंगलसिंह (मृतक)

   1/1. वीरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 भवानीसिंह जाति राजपूत

   1/2. शिवकली देवी वेवा भवानीसिंह जाति राजपूत

   निवासीयान ग्राम खौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर

2. नवावसिंह माता रामस्नेही जाति राजपूत
3. रामनरेश, पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत
4. शिवनरेशपुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत
5. जयनरेश पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत
6. श्रीमति विटटो वेवा सुमेरसिंह जाति राजपूत (मृतक)

   निवासीयान ग्राम खौंखर तहसील कठूमर

—————— वादीगण

बनाम

1. सरूपी वेवा जयसिंह (मृतक)
2. महावीर सिंह पुत्र जयसिंह जाति रजपूत निवासी खौंखर
3. जगदीषसिंह पुत्र जयसिह जाति रजपूत निवासी खौंखर
4. भागीरथ सिंह पुत्र जयसिंह जाति रजपूत निवासी खौंखर
5. प्रहलादसिंह पुत्र जयसिंह जाति रजपूत निवासी खौंखर
6. बलवीरसिंह पुत्र जयसिंह जाति रजपूत निवासी खौंखर
7. रामजीलाल पुत्र कन्हैंया जाति मीना निवासी खातीपुरा

   तहसील कठूमर जिला अलवर

8. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)
9. पंजाब नेषनल बैंक शाखा खेरली जरिये शाखा प्रबन्धक

उपखण्ड अधिकारी (कठूमर) राज०

----- असल प्रतिवादीगण

10. श्रीमति उम्मेद बाई पत्नी हरीसिह माता रामस्नेही जाति राजपूत निवासी खौंखर हालवासी ग्राम भागेगा तहसील नीम का थाना जिला सीकर
11. श्रीमति सुनीता स्त्री रनजीत सिंह पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी खौंखर हालवासी ग्राम नीमकाथाना जिला सीकर
12. श्रीमति मुकेष बाई पत्नी विक्रमसिंह पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी भागेगा तहसील नींम का थाना जिला सीकर

-----तरतीवी प्रतिवादीगण

<u>दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :–श्री भागचन्द जैन एडवोकेट– वादीगण

–::निर्णय::–

वादीगणद्वारा प्रस्तुत वाद इस्तकरारहक, तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 12 रकवा 0.40 हे. वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त आराजी का 1/4 हिस्सा वादी सं0 1–2 की माता रामस्नेही वेवा मंगलसिंह की खातेदारी की आराजी है जो आराजी रामस्नेही ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा बहुत समय पूर्व खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा वाद खरीद रामस्नेही के नाम खातेदारी का इन्तकाल दर्ज व तस्दीक हो गया था जिस आराजी पर रामस्नेही 1/4 भाग तरफ उत्तर पर काविज चली आ रही थी तथा रामस्नेही के मरने के बाद वादीगण वो तरतीवी प्रतिवादीगण 1/4 भाग पर काविज रहकर काष्त करते चले आ रहे है। जमाबन्दी से जमाबन्दी बनने पर संवत् 2068 में असल प्रतिवादी सं0 1 ला0 6 का 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया था तथा रामस्नेही का नाम गलत रूप से रामौती दर्ज कर दिया था जिसे जरिये शुद्धि पत्र संषोधित करके असल प्रतिवादी सं0 1 ला0 6 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया वो रामोती को दुरूस्त कर रामस्नेही दर्ज कर दिया। हाल जमाबन्दी संवत् 2068 में शुद्धि पत्र दिनांक 09.11.2012 का इन्द्राज दर्ज है। विवादित अराजी में 1/4 हिस्सा वादीगण वो तरतीवी प्रतिवादीगण है जो

उपखण्ड अधिकारी

विरासत में वादीगण वो तरतीवी प्रतिवादीगण को प्राप्त हुआ है तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 ला0 6 का है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 7 का है तथा हाल राजस्व रेकार्ड में उक्त अनुसार इन्द्राज दर्ज है रामस्नेही का विरासत इन्तकाल अभी तक वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व तस्दीक नहीं हुआ है जिस कारण वादीगण वो तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम 1/4 हिस्सा की घोषणा की जावे। विवादित आराजी शामलात कब्जे काष्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण वो प्रतिवादीगण के मध्य कोई कानूनी वंटवारा नहीं हुआ है घरेलु तौर पर वादीगण 1/4 हिस्सा तरफ उत्तर पर काविज चले आ रहे है लेकिन प्रतिवादीगण जबर्दस्त लोग है जो घरेलु वंटवारा मानने के तैयार नहीं है तथा वादीगण के 1/4 हिस्सा तरफ उत्तर के कब्जे काष्त में बाधा पैदा करते है झगडा करते है वादीगण के हिस्से की छोटी छोटी डौल जो पहले से डली हुई थी उसको भी फोड दिया इस वजह से वादीगणविवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहतेहै। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया।अतः वादीगण नेविवादित आराजी के 1/4 हिस्सा तरफ उत्तर का कानूनी तकासमा कराकर दखल प्राप्त करने व राजस्व रेकार्ड में अलग खाता कायम कराने व वाद वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगणदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 3 ला0 6 की ओर से श्री देवेन्दसिंह नरूका एडवोकेट ने बास्ते पैरवी मुकदमा वकालतनामा पेष किया, प्रतिवादी सं0 1—23 की तलवी का सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाया लेकिन वो हाजिर नहीं आये दिनांक 28.01.2016 को इनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं0 10.11.12 की ओर से श्री हेमेन्द्र कुमारगुप्ता ने बास्ते पैरवी मुकदमा वकालतनामा पेष किया। प्रतिवादी सं0 7 बाबजूद तामील उपस्थित नही आया जिसके विरूद्व दिनांक 23.09.2016 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण को जवाव दावा के लिये काफी अवसर दिये लेकिन जवाव पेष नहीं करने पर दिनांक 08.03.2018 को जवाव बन्द किया गया। दिनांक 02.

09.2022 को प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता वार वार आबाज दिलाने पर हाजिर नहीं हुये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगणने अपने दावा के समर्थन में प्रदर्ष–1 नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071, प्रदर्ष–2 सत्य प्रतिलिपी शुद्वि कराने का प्रार्थना पत्र, प्रदर्ष–3 सत्य प्रतिलिपी पटवारी हल्का सौंखर की रिपोर्ट पेष की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में स्वंय वादी भवानीसिंह का शपथ पत्र व गवाह बदी मीना, गवाह महेन्द्र मीना, गवाह नवावसिंह के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है। जो शेामिल पत्रावली है। दावा वादी की बहस सुनी गई वाद वादी दिनांक 24.03.2023 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी वावत कुर्रेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर अदालत हाजा के समक्ष पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत रेकार्ड व विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार कठूमर का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुर्रेजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 12 मिन उत्तर रकबा 0.10 हैक्ट0 वीरेन्द्र सिंह पुत्र भवानीसिंह, शिवकली पत्नि भवानीसिंह समभाग 1/3 हिस्सा, नवाबसिह पुत्र मंगलसिहं 1/3 हिस्सा, रामनरेश, शिवनरेश, जयनरेश, पि0 सुमेरसिंह समभाग 1/3 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 0.10 हैक्ट0 महावीरसिंह, जगदीशसिंह, भागीरथसिंह, प्रहलादसिंह, बलवीरसिंह, पि0 जयसिंह समभाग हिस्सा पूर्ण, भागीरथसिह 1/5 हिस्सा व महावीरसिंह, जगदीशसिंह, प्रहलादसिंह, बलवीरसिह 4/25 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 0.20 हैक्ट0 अमरसिंह, कालूराम, बबलू, समयसिंह पि0 राजीलाल, भारतीदेवी,पत्नि रामजीलाल विमला पुत्री रामजीलाल समभाग वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर को तकसीम में दिया है। विभाजन के अनुसार नक्शा भी विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा पर वादी एंव प्रतिवादीगण के सहमति के हस्ताक्षर है। कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः मुताविक कुर्रेजात

रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::आदेश::—

दावा वादी मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 12 मिन उत्तर रकबा 0.10 हैक्ट0 वीरेन्द्र सिंह पुत्र भवानीसिंह, शिवकली पत्नि भवानीसिंह सममाग 1/3 हिस्सा, नवाबसिह पुत्र मंगलसिहं 1/3 हिस्सा, रामनरेश, शिवनरेश, जयनरेश, पि0 सुमेरसिंह सममाग 1/3 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 0.10 हैक्ट0 महावीरसिंह, जगदीशसिंह, भागीरथसिंह, प्रहलादसिंह, बलवीरसिंह, पि0 जयसिंह सममाग हिस्सा पूर्ण, भागीरथसिह 1/5 हिस्सा व महावीरसिंह, जगदीशसिंह, प्रहलादसिंह, बलवीरसिह 4/25 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 0.20 हैक्ट0 अमरसिंह, कालूराम, बबलू, समयसिंह पि0 राजीलाल, भारतीदेवी,पत्नि रामजीलाल विमला पुत्री रामजीलाल सममाग वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर को तकसीम में दिया जाकर तहसीलदार कठूमर को अदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें। तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।सुनाया।

आज दिनांक 30.10.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 291 / 2012

जीसीएमएस नं0ः– 2012 / 00117

दायर दिनांकः– 13 / 12 / 2012

निर्णय दिनांकः– 30 / 10 / 2025

वउनवान

1. भवानी सिह माता रामस्नेही पुत्र श्री मंगलसिंह (मृतक)

   1 / 1. वीरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 भवानीसिंह जाति राजपूत

   1 / 2. शिवकली देवी वेवा भवानीसिंह जाति राजपूत

   निवासीयान ग्राम खौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर

2. नवावसिंह माता रामस्नेही जाति राजपूत
3. रामनरेश पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत
4. शिवनरेशपुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत
5. जयनरेश पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत
6. श्रीमति विटटो वेवा सुमेरसिंह जाति राजपूत (मृतक)

   निवासीयान ग्राम खौंखर तहसील कठूमर

—————— वादीगण

बनाम

1. सरूपी वेवा जयसिंह (मृतक)
2. महावीर सिंह पुत्र जयसिंह जाति रजपूत निवासी खौंखर
3. जगदीषसिंह पुत्र जयसिह जाति रजपूत निवासी खौंखर
4. भागीरथ सिंह पुत्र जयसिंह जाति रजपूत निवासी खौंखर
5. प्रहलादसिंह पुत्र जयसिंह जाति रजपूत निवासी खौंखर
6. बलवीरसिंह पुत्र जयसिंह जाति रजपूत निवासी खौंखर
7. रामजीलाल पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी खातीपुरा

   तहसील कठूमर जिला अलवर

8. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)
9. पंजाब नेषनल बैंक शाखा खेरली जरिये शाखा प्रबन्धक

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर

----- असल प्रतिवादीगण

10. श्रीमति उम्मेद बाई पत्नी हरीसिह माता रामस्नेही जाति राजपूत निवासी खौंखर हालवासी ग्राम भागेगा तहसील नीम का थाना जिला सीकर
11. श्रीमति सुनीता स्त्री रनजीत सिंह पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी खौंखर हालवासी ग्राम नीमकाथाना जिला सीकर
12. श्रीमति मुकेष बाई पत्नी विक्रमसिंह पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी भागेगा तहसील नींम का थाना जिला सीकर

-----तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 12 मिन उत्तर रकबा 0.10 हैक्ट0 वीरेन्द्र सिंह पुत्र भवानीसिंह, शिवकली पत्नि भवानीसिंह समभाग 1/3 हिस्सा, नवाबसिह पुत्र मंगलसिहं 1/3 हिस्सा, रामनरेश, शिवनरेश, जयनरेश, पि0 सुमेरसिंह समभाग 1/3 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 0.10 हैक्ट0 महावीरसिंह, जगदीशसिंह, भागीरथसिंह, प्रहलादसिंह, बलवीरसिंह, पि0 जयसिंह समभाग हिस्सा पूर्ण, भागीरथसिह 1/5 हिस्सा व महावीरसिंह, जगदीशसिंह, प्रहलादसिंह, बलवीरसिह 4/25 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 0.20 हैक्ट0 अमरसिंह, कालूराम, बबलू, समयसिंह पि0 राजीलाल, भारतीदेवी,पत्नि रामजीलाल विमला पुत्री रामजीलाल समभाग वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर को तकसीम में दिया जाकर तहसीलदार कठूमर को अदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें।

आज दिनांक 30.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी हुई।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

र

म